यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, पं० हरगो वन्द पन्त जिला च कत्सालय, अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, पं० हरगो वन्द पन्त जिला च कत्सालय, अल्मोड़ा के माह 08/2012 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 27.05.2017 से 31.05.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री ए. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री के.एस.चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 24.08.2012 से 29.08.2012 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2010 से 07/2012 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र के अंतर्गत जनपद च कत्सालय अल्मोड़ा का सम्पूर्ण जनपद अल्मोड़ा है

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आ धक्य (+)	बचत	आ धक्य (+)	बचत
2012-13	लागू नहीं	लागू नहीं	--	--	475.20	354.50	--	--	--	120.70
2013-14			--	--	396.10	393.20	--	--	--	2.90
2014-15			--	--	447.20	423.15	--	--	--	24.05
2015-16			--	--	517.12	483.16	--	--	--	33.96
2016-17			--	--	532.29	520.63	--	--	--	11.66

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(` में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	--	--	--	--	--	--
2013-14	--	--	--	--	--	--
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
2). महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
3). निदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल
4). मुख्य च कत्सा अ धकारी
5). प्रमुख अधीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा, वगत लेखापरीक्षा (08.2012) से अप्रैल 2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, पं० हरगो वन्द पन्त जिला च कत्सालय, अल्मोड़ा के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, पं० हरगो वन्द पन्त जिला च कत्सालय, अल्मोड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2017 एवं 09.2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:**1-** रुपए **17,000/-** की हानि।

मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन हेतु च कत्सालय, बीमा कंपनी तथा TPA के साथ कए गए सेवा अनुबंध के अनुसार एंपेनल्ड च कत्सालय द्वारा लाभार्थी के च कत्सालय से डस्चार्ज होने के सात दिन के अंदर लाभार्थी की च कत्सा से संबन्धित सभी वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड कर दिये जाने चाहिए। च कत्सालय द्वारा नेट कनेक्टि वटी अथवा अन्य कारण से वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहने की स्थिति में, अपने भुगतान हेतु दावों को अ धकतम दस दिन के अंदर इलेक्ट्रोनिकली अथवा मेनुयली बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर देने चाहिए। च कत्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कंपनी को सू चत करेगा, यदि दावे 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को प्रस्तुत कए जाते हैं तो, बीमा कंपनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी क दावे 10 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। च कत्सालय के मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबन्धित अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क मई 2017 मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अनुबन्ध में निर्धारित समय सीमा के अन्दर वांछित दस्तावेजों सहित भुगतान दावे अपलोड ने कए जाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा रुपया 17,000/- के भुगतान दावे अस्वीकार कर दिये गए, जिसके परिणाम स्वरूप रुपए 17,000/- की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इं गत कए जाने पर प्रमुख च कत्सा अधीक्षक ने उत्तर दिया क वांछित दस्तावेज़ अपलोड न कए जाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा भुगतान दावे अस्वीकार ब कए गए, साथ ही यह भी स्वीकार कया क अस्वीकार कए गए दावों को Grievance Redressal Committee में नहीं उठाया गया। इस प्रकार च कत्सालय द्वारा अनुबंध की समय-सीमा के अंदर भुगतान दावे प्रस्तुत कए जाने में वरती गयी श थलता के कारण च कत्सालय को रुपया 17,000/- की हानि हुई।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- **1** धनरा श रु 7.22 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न कया जाना

सामान्य वत्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिये ता क उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके

कार्यालय के फर्नीचर/ अन्य सामग्री सम्बन्धी लेखा अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क वर्ष 1972 से 2013 के मध्य क्रय कये गये कुल क्रय धनरा श रु **7,22,392**/- के फर्नीचर/ अन्य सामग्री (ववरण संलग्न " अनुलग्नक- "), अनुपयोगी पड़े हुये सामग्री पाये गये थे । नीलामी न कये जाने के कारण उक्त साम ग्रयों का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा था, जिसके कारण उक्त सामग्री की नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी।

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने उत्तर दिया क नीलामी कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर उक्त साम ग्रयों को और मूल्य ह्रास एवं वभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

अनुलग्नक-

अनुपयोगी उपकरण/फर्नीचर/अन्य सामग्री:-

क्रम सं0	वस्तु का नाम	वस्तु सं0	क्रय तिथि	मूल्य/प्रति	सम्पूर्ण मूल्य	खारिज करने का कारण
1	Bed Side Locker	01	31.07.1991	313	313	अक्रियाशील/मरम्त नही हो पाना
2	Bed Side Spittoon Stand	25	19.07.1996	50	1250	बाडी टूट जाना
3	Bed Fowler	2	24.09.2008	5600	11200	बाडी टूट जाना
4	Bed Side Stool	5	19.08.2001	102.59	512.95	बाडी टूट जाना
5	Basin Stand Wooden	1	1972	मूल्य अंकित नही हैं	.	बाडी टूट जाना
6	Back Rest	1	16.02.1997	159	159	फ्रेम टूट गया है।
7	Basin S.S	01	28.07.1990	145	145	खराब हो गया है।
8	Bench Steel	2	06.11.1995	377	754	टूट गयें है
09	Chair Wooden	1	01.04.1972	30	30	टूट गयी है।
10	Chair Dunlop Sheet & Back	10	13.03.1999 /15.07.2001	960x7 1010x3	6720 3030	टूट गयी है मरम्त योग्य नही है।
11	Chair Revolving Officer	1	24.03.1999	4100	4100	तदैव
12	Chair Single Sheet Plastic	01	30.03.1978	456	456	तदैव
13	Chair Plastic Arm	02	2.05.2001	233	466	तदैव
14	Folding Bed	01	27.09.2008	1000	1000	फ्रेम टूट गया है
15	Harrison Lock	2	07.04.1995	68	136	लीवर खराब होना
16	Instrument Sterilizer	2	01.03.2003	1200	2400	बॉडी खराब होना
17	Lock Brass`	2	21.11.1978	10	20	लीवर खराब होना
18	Lock Iron	30	24.03.2004 04.12.2002 2013 2013	70x2 65x4 36x1 25X1	140 260 36 25	लीवर खराब हो गये है।

			2013 22.09.2000 22.09.2000	30x6 95X2 108X14	180 190 1512	
19	Oxygen Slender Trolley	2	10.03.2003	600	1200	टूट गयी है मरम्त योग्य नही है।
20	Steel Typist Table	2	23.11.1990 08.10.1992	917 980	917 980	टूट गयी है मरम्त योग्य नही है।
21	Wheel Chair	2	08.07.2006	3685	7370	तदैव
22	Tray Instrument with Cover	10	19.08.2001	245x5 275x2 850X3	1225 550 2250	तदैव
23	Blower	02	21.02.2008	3000	6000	खराब हो गया है मरम्त नही हो सकती।
24	Light Deluxe Laltin	01	18.05.2007	900	900	तदैव
25	Steel Table	1	08.05.2010	3300	3300	टूट गयी है मरम्मत नही हो सकती।
26	Revolving Chair Hydraulic	03	08.10.2007	1854	5562	तदैव
27	Rinch 18”	01	29.04.2008	400	400	तदैव
28	Rinch 14”	01	29.04.2008	200	200	तदैव
29	Plas	01	29.04.2008	100	100	तदैव
30	Screw Driver Set	01	29.04.2008	147	147	तदैव
31	Wooden Bench	02	17.09.2008	2200	4400	तदैव
32	Stool Plastic	01	21.09.2009	200	200	तदैव
33	Room Heater	12	23.11.2009 27.01.2011	577x3 680X 9	1731 6120	रिफलैक्टर खराब होना/ बाडी खराब होना।
34	Revolving Stool Fiber Body	02	03.03.2010	695x2	1390	रिवोलविगं सिस्टम टूटना
35	I.V Stand	12	06.08.2008	630	7560	बेस खराब हो जाना
36	Bench With Seat	10	07.09.2013	380	3800	फ्रेम एवं सिटो का टूटना।
37	B.P Instrument	8	06.11.2010	659	5272	बॉडी टूटना पारा गिरना,कफ फटना
38	Pedestal Fan	01	(Donation	–	–	मोटर खराब होना

			S.B)			मरमम्त नही हो पाना।
39	कम्प्यूटर वथ प्रंटर	1	22.02.2001	49750	49750	खराब होना
40	हारीजैंटल ऑटोक्लेव	1	31.03.2003	110250	110250	खराब होना
41	वायल्स ट्राली	1	01.04.2003	66560	66560	खराब होना
42	हाइड्रोलीक टेबल ओ.टी.	1	18.03.1998	31963	31963	खराब होना
43	साइमन्स 100 एम.ए. एक्सरे	1	13.11.1962	27307	27307	खराब होना
44	इन्सिनेटर इलेक्ट्रिक	1	29.09.1998	86320	86320	खराब होना
45	सेमी ऑटो एनालाइजर	1	27.07.1995	215233	215233	खराब होना
46	हाइड्रोलीक टेबल	1	01.07.2007	38400	38400	खराब होना
				योग =	**7,22,392/-**	

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- **2** धनरा श रु 18.65 लाख के उपकरणों का अनुपयोगी पड़े रहना

अ भलेखों की संवीक्षा में पाया गया क वर्ष 2004 से 2012 के मध्य क्रय कये गये/ स्वास्थ्य महानिदेशाशालय से प्राप्त कये गये धनरा श रु 18.65 लाख (अनुलग्नक-B) के च कत्सा उपकरण आपरेटर / टेक्नी शयन की तैनाती न कये जाने एवं निर्धारित यूनिट के स्था पत न कये जाने के कारण 2 वर्ष से 13 वर्ष से च कत्सालय में निष्क्रिय पड़े हुये थे आगे, जाँच में पाया गया क च कत्सालय प्रसाशन द्वारा न तो उक्त उपकरणों को अन्यत्र स्थानांतरित कया गया और न ही आपरेटर / टेक्नी शयन की तैनाती एवं निर्धारित यूनिट स्था पत की गयी थी

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने उत्तर दिया क आपरेटर एवं वशेषज्ञ न होने,आवश्यक यूनिट स्था पत न कये जाने तथा उपकरणों के खराब हो जाने के कारण उक्त प्रकरण अ क्रयाशील पड़े हुये हैं, उपकरणों को प्रयोग में लाये जाने हेतु उ चत कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क च कत्सालय प्रशासन की उदासीनता के कारण धनरा श रु 18.65 लाख के उपकरण 2 से 13 वर्ष से अनुपयोगी पड़े हुये थे

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

<u>अनुलग्नक- **B**</u>

अनुपयोगी उपकरणों की सूची :-

क्र. सं.	च कत्सा उपकरण का नाम	क्रय ति थ	अनुपयोगी ति थ	क्रय मूल्य (रु)	अनुपयोगी रहने का कारण
1	फोटो थरेपी यूनिट	08.08.2008	08.08.2008	23138	निर्धारित यूनिट का स्था पत न होना
2	रे डयेंट हिटवार्मर	03.01.2009	03.01.2009	28070	निर्धारित यूनिट का स्था पत न होना
3	टेबलटाप सैन्ट्रीफ्यूज	26.07.2012	26.07.2012	39971	खराब उपकरण प्राप्त होना
4	लैप्रोस्कोप डाइग्नोस्टिक संगल पेंचर	11.02.2004	11.02.2004	871200	सक्षम वशेषज्ञ न होना
5	बेबी इन्क्युवेटर	27.02.2004	27.02.2004	32980	निर्धारित यूनिट का स्था पत न होना
6	फोटो थरेपी यूनिट	27.02.2004	27.02.2004	8890	निर्धारित यूनिट का स्था पत न होना
7	रे डयेंट हिटवार्मर	27.02.2004	27.02.2004	24700	निर्धारित यूनिट का स्था पत न होना
8	वैंटिलेटर सर्वो	06.07.2005	06.07.2005	611000	सक्षम वशेषज्ञ एवं निर्धारित इकाई का न होना
9	वैंटिलेटर एनसैंट	06.07.2005	06.07.2005	159000	आपूर्तिकर्ता द्वारा स्था पत न करना
10	सेमीऑटो एनलाइजर	25.07.2004	18.12.2015	65835	वारंटी समय में खराब होना एवं सम्बन्धित फर्म से पत्राचार
			योग =	18,64,784/-	

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:-4. धनरा श रु 2.54 लाख के लेखन सामग्री का अनिय मत क्रय

उत्तराखण्ड शासन वत्त वभाग संख्या 177/ xxxvii (7)/ 2008 देहरादून दिनांक 1 मई, 2008 अ धप्राप्ति के मौ लक सद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट कया गया है क समस्त अ धप्राप्ति प्र क्रयाओं में पारद र्शता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ता क व्यय की जाने वाली धनरा श का अ धकतम लाभ प्राप्त हो सके, एवं बिंदु संख्या (10) में स्पष्ट कया गया है क अ धप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति का प्रयास कया जाए । अ धप्राप्ति मूल्य कम करने के लए आवश्यक मात्र को वभाजित नहीं कया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंक लत मूल्य के सन्दर्भ में अपे क्षत उच्चतर प्रा धकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लए छोटे- छोटे भागों में वभक्त कया जाएगा ।

कार्यालय के लेखन सामग्री (अनुदान पंजिका 2016-17) के नमूना लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया की निम्न ल खत वाउचर छोटे- छोटे भागों में वभक्त करके खरीदारी की गयी थी । ववरण निम्न ल खत है :

क्र. सं.	फर्म का नाम	बिल सं.	दिनांक	धनरा श **(Rs)**
1	M/s भगवान बुक डपो, अल्मोड़ा	2990	31.03.2016	55104
2	M/s तरुण धवन, अल्मोड़ा	475	26.03.2016	12273
3	M/s भगवान बुक डपो, अल्मोड़ा	3078	06.06.2016	19898
4	M/s भगवान बुक डपो, अल्मोड़ा	3231	21.09.2016	118283
5	M/s भगवान बुक डपो, अल्मोड़ा	3444	07.01.2017	34772
6	M/s तरुण धवन, अल्मोड़ा	555	18.11.2016	4786
		557	20.12.2016	4341
		563	11.01.2017	4607
			योग =	**2,54,064/-**

लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर प्रमुख अधीक्षक ने उत्तर दिया क भ वष्य में अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यो क अ धप्राप्ति के निम्नतम

दरों का लाभ प्राप्त करने के लए यथासाध्य अ धकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अ धप्राप्ति का प्रयास कया जाना चाहिए था

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
2007-08/ AIR- 44	1, 2, 3	1, 2, 3 & 4	NIL	--
2008-09/ AIR- 176/ 91	NIL	1	1, 2 & 3	--
SS/ AIR-53/ 2012-13	NIL	1 & 2	NIL	TAN- 1, 2, 3 & 4

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
2007-08/ AIR-44	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1, 2, 3 एवं भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
2008-09/ AIR-176/ 91	भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1 STAN- 1, 2, 3	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR-53/ 2012-13	भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2 TAN- 1, 2, 3 & 4.	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अधीक्षक, पं० हरगो वन्द पन्त जिला च कत्सालय, अल्मोड़ा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेख: शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 जी.सी. पाण्डेय	प्रमुख अधीक्षक	22.02.2011 से 08.07.2016
डॉ0 टी. के. पन्त	प्रमुख अधीक्षक	09.07.2016 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रमुख अधीक्षक, पं० हरगो वन्द पन्त जिला च कत्सालय, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अ धकारी/सा.क्षे.